बैठक संख्या – 10

आज दिनांक 04.04.2018 को 11 बजे दिन में Internal Quality Assurance Cell की आवश्यक बैठक प्रधानाचार्य के अध्यक्षता में IQAC में आहुत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1. डॉ बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रॉक्टर
2. डॉ0 बृजबिहारी सिंह, डिप्टी प्रॉक्टर
3. डॉ0 सुभाषचन्द्र सिंह, बर्सर,
4. डॉ0 कुमार कौशलेन्द्र, सहा0 प्रो0, रसायनशास्त्र विभाग
5. डॉ0 अभय कुमार सिंह भौसला, अध्यक्ष, रसायशास्त्र विभाग
6. डॉ0 बी0डी0 श्रीवास्तव, सहा0 प्रो0, अंग्रेजी विभाग
7. श्री सच्चिदानन्द सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष
8. डॉ0 राज कुमार प्रसाद, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
9. श्री दिव्य प्रकाश, अध्यक्ष, छात्र संघ, शेरशाह कॉलेज, सासाराम
10. श्री विकास कुमार, मुखिया, उचितपुर पंचायत
11. श्री चन्द्रशेखर सिंह, उपाध्यक्ष, नगर परिषद्, सासाराम

निर्णयः–

1. गत बैठक की सम्पुष्टि :–

   दिनांक 01.11.2017 IQAC की बैठक में लिये गये निर्णय को सर्व सम्मति से सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि की गई।

2. **महाविद्यालय में MCA, MBA एवं B.Ed. के पठन–पाठन के लिये वि0वि0 एवं संबंधित संस्थाओं से मान्यता लेने पर विचार :–**

   शेरशाह महाविद्यालय में पूर्व से BCA एवं BBA का पठन–पाठन चल रहा है। जिसका Performance बहुत की अच्छा है एवं छात्रों की आगे की (MCA & MBA) शिक्षण हेतु काफी रूची है। MCA के लिए विश्वविद्यालय से मान्यता हेतु जाँच कमिटि का गठन हो चुका है। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय से भी NOC हेतु सम्पर्क किया जा चुका है। सासाराम में मात्र एस0पी0जैन कॉलेज में ही B.Ed. का शिक्षण कार्य होता है। सासाराम की बढ़ती आबादी को देखते हुये B.Ed. शिक्षण की आवश्यकता शेरशाह कॉलेज में भी महसूस की जा रही है। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं से मान्यता लेने

हेतु सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से उक्त पठन–पाठन को महाविद्यालय में खोलने का निर्णय लिया गया।

चूँकि यह कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ B.Ed. की मान्यता मिलने पर ग्रामीण, गरीब, दलित, पिछड़े एंव अल्प संख्यक छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।

3. **महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में Bio-Matric पद्धति पर विचार :–**

महाविद्यालय में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के उपस्थिति बनाने हेतु Bio-Matric पद्धति लागू करने पर विचार किया गया। इस पद्धति को लागू करने के लिये Bio-Matric यंत्र को किसी एजेन्सी द्वारा लगाने पर विचार किया गया। इस पद्धति को लागू करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया। इसके लिए प्रधानाचार्य को अधिकृत किया जाता है।

4. **पुस्तकालय के लिए पत्र–पत्रिका एवं Journals के क्रय पर विचार :–**

पुस्तकालय में inflibnet – NLIST के E-Journal की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन पत्र–पत्रिकाओं तथा Hard Copy में Journals की आवश्यकता है। सभी शिक्षकों एवं छात्रों से विचार विमर्श कर पत्र–पत्रिका एवं Journals का चयन किया जाय एवं चयनित पत्र–पत्रिका एवं Journals का क्रय किया जाय। इसे सभी सदस्यों द्वारा क्रय करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

5. **महाविद्यालय में क्षतिग्रस्त बेंच–कुर्सी के मरम्मति पर विचार :–**

महाविद्यालय में लकड़ी के बने बहुत से बेंच–डेस्क एवं कुर्सी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।जिसके कारण छात्रों को बैठने में परेशानी हो रही है। इसलिए क्षतिग्रस्त बेंच–डेस्क एवं कुर्सी को मरम्मति के लिए सभी सदस्यों सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिसे स्थानीय कारीगर से बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. **विभागीय सेमिनार/कान्फ्रेंस पर विचार :–**

महाविद्यालय के सभी विभागों द्वारा शिक्षण तथा शोध कार्यों को Promote करने हेतु Seminar/Conference, Work Shop Symposia आदि को हमेशा कराये जाने का निर्णर्य लिया गया। NAAC PEER TEAM के अनुशंसा में भी यह शामिल है। इस कार्य के लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।

7. **शिक्षकों द्वारा उनके Acadamic/Research से संबंधित उपलब्धियों का Record IQAC में उपलब्ध कराने के संबंध में :–**

महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का Profile IQAC कार्यालय में रखने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी शिक्षक विहित प्रपत्र में अपनी शैक्षणिक तथा शोध की अद्यतन जानकारी IQAC, Co-ordinator को उपलब्ध करायेंगे साथ ही किसी भी शैक्षणिक शोध गतिविधि के लिए सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिये पूर्व में IQAC समन्वयक को लिखित जानकारी दें। सर्वसम्मति से इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया।

8. **महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका ''विर्मश'' के लिए ISSN नम्बर प्राप्त करना :-** महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'विर्मश' प्रत्रिका का ISSN नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके लिये बहुत जगह प्रधानाचार्य द्वारा सर्म्पक किया गया। पत्रिका का ISSN नम्बर अति आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सम्पादक मण्डल के द्वारा ISSN नम्बर लेने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके सन्दर्भ में कार्यवाही जारी भी है।

<u>अन्यान्य</u>

1. पूर्ववर्त्ती छात्र संघ तथा अभिभावक संघ का पंजीयन करना – सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र संघ तथा अभिभावक संघ का पंजीयन कराया जाय तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय। इस हेतु हर वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों से Feedback लेने एवं उनसे Alumni Form भरवाया ज़ाय।
2. IQAC में औद्योगिक प्रबंधन तथा पूर्ववर्त्ती छात्रों से सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया।
3. छात्रों के Placement हेतु स्थानीय नियोक्ताओं तथा उद्योगिक संस्थाओं से सर्म्पक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह कार्य महाविद्यालय के Placement एवं Counseling Cell के द्वारा किया जायेगा।

4/4/18	4/4/18
समन्वयक, IQAC	प्रधानाचार्य सह अध्यक्ष, IQAC